द्वितीय अध्याय

"शोध प्रारूप एवं अध्ययन प्रविधि"

प्रस्तावना :–

भारतीय समाज के पारिवारिक संरचना में स्त्रियों का केन्द्रीय स्थान होता है। यदि उनकी भूमिका प्रस्थिति में परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। यह परिवर्तन परिवार की लघु इकाई (माइक्रो स्तर) में होता है। जब बहुत से परिवारों में स्त्रियों की भूमिका में परिवर्तन आने लगते हैं तो वे सामाजिक परिवर्तन का परिचायक होते हैं।

भारतीय नारी की परम्परागत पार्श्वचित्र परिवार मीमांसा में इस प्रकार दिया गया है– ''शास्त्रकारों ने सम्भवतः तीन कारणों से नारी को अस्वतन्त्र बनाया है। पहला कारण, नारी के अबला होने के कारण कुदृष्टि का शिकार होने पर उसकी आत्मरक्षा में असमर्थता थी। संसार में कीचक जैसे दुष्टों की कभी कमी नहीं रही, महाभारत के मत में पतिहीना स्त्री की सब लोग वैसे ही कामना करते हैं जैसे पृथ्वी पर पड़े हुए मांस खण्ड से करते है। ऐसे दुर्जनों से स्त्री के सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव उसे किसी पुरुष के संरक्षण में देना वांछनीय समझा गया। दूसरा कारण स्त्री का आर्थिक परावलम्बन और स्वयं जीविका उपार्जन करने में अक्षमता थी। पति ही पत्नी का प्रधान आर्थिक आश्रय था। उसके अभाव में पालन–पोषण की व्यवस्था न होने से नारी को कोई दुःख न उठाना पड़े,

इसलिए ऐसा विधान किया गया। इस विषय में नारद की व्यवस्था से यह उद्देश्य भली–भांति सिद्ध होता है। उन्होंने पति तथा पुत्रों के अभाव में पतिकुल के अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उनके भी न रहने पर पितृकुल के व्यक्तियों द्वारा तथा उनके अभाव में राजा द्वारा नारी के भरण–पोषण तथा संरक्षण की व्यवस्था की है। तीसरा कारण, यह था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों पर सतीत्व का बन्धन इसलिये अधिक आवश्यक था कि उसके न रहने पर वर्णसंकरता आदि अनेक दोषों की अधिक सम्भावना थी। मनु के कथनानुसार यदि स्त्रियों की रक्षा की उपेक्षा की जाए तो वे पितृ एवं पति दोनों कुलों को सन्ताप पहुंचा सकती हैं। नारद के मतानुसार स्वतन्त्रता से कुलीन स्त्रियां भी बिगड़ सकती है, अतः प्रजापति ने उनकी पराधीनता की व्यवस्था की है। इससे यह स्पष्ट है कि शास्त्रकारों ने नारी की परतन्त्रता की व्यवस्था उसे पुरुष की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिये नहीं, किन्तु उसके हित की दृष्टि से की थी और न केवल हिन्दू शास्त्रकारों ने अपितु प्राचीन काल के अन्य सभी उन्नत देशों के व्यवस्थापकों ने इन्हीं परस्थितियों के कारण नारी के पराधीन होने का ठीक इन्हीं शब्दों में विधान किया है।[1]

कार्योजित महिलाओं के कार्योजन के परिणामों को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में इस बात का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से उत्पन्न समायोजन की समस्याओं को निम्नलिखित दो सन्दर्भ में देखा जाए–

1. कार्योजन और कार्योजन स्थल से समायोजन का स्तर।
2. कार्योजन से उत्पन्न वैवाहिक एवं पारिवारिक समायोजन स्तर।

यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि कठिनाइयों के होते हुए भी वे कौन से सामाजिक कारक हैं जिनके कारण महिला पुलिस कार्योजन में लगी रहती है। यह भी आंकड़ों एवं वैयक्तिक इतिहास के आधार पर देखने का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिस के कार्योजन से किस प्रकार पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की शैली बदल रही है। यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि जाति के कारण महिला पुलिस को कार्य स्थल पर किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है या नहीं। इन सभी पक्षों के मिले–जुले रूप को हमने समाज वैज्ञानिक अध्ययन की संज्ञा दी है। वर्तमान अध्ययन गवेषणात्मक है।

उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रतापूर्व 'उत्तरी पश्चिमी प्रान्त' के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रान्त में कलकत्ते में काम कर रहे 1860 के पुलिस आयोग को संस्तुतियां प्राप्त होने से पूर्व ही पुलिस का गठन कर लिया गया था। प्रान्त में प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति नवम्बर 1860 में की गयी थी। उस समय इस प्रान्त में सात परिक्षेत्र थे जिस पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये थे। जिलों के लिये सहायक पुलिस अधीक्षक भी रखे गये थे। छः पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद बाद में सृजित किये गये। उस समय प्रान्त में 39 जिले थे।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में प्रान्तों का पुर्नगठन किया गया और इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। फलस्वरूप प्रदेशीय पुलिस का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस पड़ा।

उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सुर्खियों में स्थान प्राप्त करती रही है।

अपने गौरवपूर्ण एवं निन्दनीय कार्यकलापों के फलस्वरूप यह सदैव यश और अपयश दोनों का भागीदार रही है।

क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन देश के अन्य पुलिस बलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां सन् 1861 में वार्षिक परेड का आयोजन किया गया था, तब से इस परम्परा का निर्वाह प्रादेशिक पुलिस आज तक निरन्तर करती आ रही है।

सन् 1847 के पश्चात् कानून, वर्दी, पद और कैडर के वितरण में कई संशोधन हुये हैं। संख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश पुलिस चौथे स्थान पर और श्रेष्ठता के रूप में बम्बई के पश्चात् इसका स्थान आता है। वर्ष 1952 में सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को कलर प्रदान किया गया जो कि राज्य पुलिस के अत्यन्त सम्मान की बात की थी। तत्पश्चात् अन्य राज्यों की पुलिस ने इस मार्ग का अनुसरण किया। उत्तर प्रदेश के पश्चात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल की पुलिस भी यह सम्मान प्राप्त कर चुकी है।

चयनित पूर्व अध्ययनों का सारांश :–

1. भारतीय पुलिस :–

इस पुस्तक के लेखक डॉ0 परिपूर्णानन्द हैं। भारतीय पुलिस आयोग का सदस्य या उपाध्यक्ष होने के नाते इन्हें तत्कालीन भारत की पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था। यह पुस्तक अंग्रेजी शासन काल में

लिखी गई। अतः इसमें ब्रिटिश काल की भारतीय पुलिस के संरक्षण, स्वरूप, कर्तव्य, अधिकार एवं सुविधाओं का वर्णन है। इसके वर्णन में परतंत्र भारत की विवशता है। फिर भी तत्कालीन पुलिस व्यवस्था का इससे अच्छा ज्ञात होता है। इसमें महिला पुलिस का उल्लेख नहीं है। अच्छी जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ हमारे अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है।

2. द पुलिस इन फ्री इंडिया :–

यह पुस्तक पीबी0सिंह द्वारा लिखी गई है। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय पुलिस व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का उल्लेख है। यह ग्रंथ समग्र पुलिस विभाग के बारे में अच्छी जानकारियां प्रस्तुत करता है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस बल की संख्या, प्रशासन, पुलिस के कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधाओं का वर्णन है। इसमें महिला पुलिस का भी संक्षिप्त उल्लेख मिल जाता है।

3. द पुलिस एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया :–

1989 में प्रकाशित डेविड एच0 बैली द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी सूचनायें देती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनैतिक विकास के साथ–साथ समाज में जो परिवर्तन हुए तथा जो सामाजिक विघटन उत्पन्न हुए उस परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उल्लेख इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से दिया हुआ है। इस ग्रंथ में महिला पुलिस की आवश्यकता संगठन और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।

4. फ्रीडम इज नॉट फ्री :–

यह ग्रंथ 1975 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक एस0 के0 घोष है। इस पुस्तक में भारतीय पुलिस की ज्यादतियों, अमानवीय कृत्यों तथा अधिकारों के दुरूपयोग का मुख्य रूप से उल्लेख है। पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसमें महिला के संगठन वितरण एवं कर्मियों का उल्लेख मिलता है।

5. द इण्डियन पुलिस :–

जे0 सी0 काई द्वारा लिखित यह पुस्तक अंग्रेजी शासनकाल में 1932 में प्रकाशित हुई। इसमें अंग्रेजी की साम्राज्यवादी व्यवस्था में पुलिस संगठन तथा उसके योगदान का मुख्य रूप से विवरण दिया गया है।

6. ह्यूमन राइट्स एण्ड पुलिस :–

इस ग्रंथ के रचनाकार डा0 एस0 सुब्रह्मण्यम, राजनीतिशास्त्र के प्रकांड विद्वान है। इस ग्रंथ में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पुलिस की गतिविधियों की समालोचना की गई है। विश्व के रंगमंच पर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों को स्वीकृत किया गया। किसी भी प्रशासनिक पुलिस या सैनिक संगठन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अमानवीय तरीके से मानवता का हनन करें। इस ग्रंथ में मानवाधिकारों की सीमा में रहते हुए पुलिस विभाग को कार्य करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं।

7. अमानवीय व्यवहार एवं पुलिस :–

इस पुस्तक में लेखक जगदीश प्रसाद आर्य, भारतीय पुलिस

अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुलिस विज्ञान नामक पत्रिका के प्रधान सम्पादक हैं। इन्हें भारतीय पुलिस के बारे में विशद् ज्ञान है। इस पुस्तक में केन्द्रीय पुलिस बल तथा भारत के विभिन्न राज्यों में पदस्थ सिविल पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ किये जाने वाले अमानवीय कृत्यों का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ से मध्य प्रदेश पुलिस जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है, के क्रूर तरीकों का ज्ञान होता है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

8. स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व :–

डॉ0 कृष्णमोहन मथुरा द्वारा लिखित यह पुस्तक उनके राजनीतिक विज्ञान सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान का परिचायक है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में और राज्यों में पुलिस की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। पुलिस विभाग की कमियों का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि जनसहयोग के अभाव में पुलिस निकम्मी हो जाती है। महिला पुलिस तो कार्य कर ही नहीं सकती। अतः पुलिस के प्रति जनसहयोग, सहानुभूति तथा सद्भाव बहुत आवश्यक है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत तथा राज्यों में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जनसहयोग पर बल दिया गया है।

9. पुलिस और समाज :–

इस पुस्तक के लेखक द्वय श्री ए0 एल0 इराईल तथा जे0के0 वैडाकुंभचेरी बहुत लम्बे समय तक केन्द्रीय पुलिस बल से सम्बन्धित रहे।

इस ग्रंथ में उन्होंने पुलिस को समाजोपयोगी बनाने हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं। पुलिस की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए लेखकों ने लोकतांत्रिक अवस्था में समाज के हितों की रक्षा करने के लिए पुलिस बल में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं। इनके विचार में पुलिस प्रशिक्षण से लेकर शीर्षस्थ प्रशासन तक में आमूल–चूल परिवर्तन आवश्यक है।

10. विकासशील समाज और पुलिस :–

इस ग्रंथ के लेखक जी0 राम रेड्डी और के0 शेषाद्रि हैं। इन लेखकों ने इस पुस्तक में भारतीय समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तनों का उल्लेख किया है। इसमें भारतीय समाज पर पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था के न होने का उल्लेख करते हुए इन्होंने पुलिस विभाग में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने के सुझाव दिये।

11. पुलिस की छवि कैसे सुधरे :–

यह पुस्तिका श्री के0 एस0 माथुर द्वारा लिखी गई है, जो लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली में पुलिस विभाग के उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। यह ग्रंथ दीर्घ अनुभव का परिणाम है। इसमें भारतीय पुलिस को अधिक सक्षम, सक्रिय, मानवीय और संगठित करने के विविध तरीकों का उल्लेख किया है। लेखक के विचार में पुलिस जनता का स्वामी नहीं, सेवक है। यह पुस्तक सरल भाषा में लिखी हुई है तथा पठनीय है।

12. भारतीय महिला पुलिस :–

श्री जगदीश प्रसाद आर्य द्वारा लिखित यह पुस्तक महिला पुलिस के संगठन का इतिहास उसके कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यकलापों का अच्छा विवरण है। 1991 तक की महिला पुलिस की स्थिति के अनेक प्रकार के आंकड़े भी इस ग्रंथ में मिल जाते हैं। आज दूरियां सिमटकर छोटी हो गई हैं। जनसामान्य अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराध बड़ी संख्या में हो रहे हैं। महिलाएं भी अपराध की ओर अग्रसर हो रही हैं। लेखक ने इन तमाम सन्दर्भों का आंकलन करते हुए महिला पुलिस के बारे में एक अच्छी रचना प्रस्तुत की है।

13. भारतीय स्वातंत्र्य और महिला पुलिस :–

डा0 रश्मि बाला द्वारा लिखित तथा अजमेर से प्रकाशित यह पुस्तक 290 पृष्ठों की है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला पुलिस के गठन में परिवर्तन विभिन्न राज्यों में उनका संख्यात्मक अनुपात तथा भूमिका का उल्लेख है। पुस्तक काम चलाऊ है। इसमें महिला पुलिस के बारे में समान्य सूचनायें मिल जाती हैं।

14. पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित उपर्युक्त लेखों से इस शोधकार्य में सहायता प्राप्त हुई है। ये चारों लेख क्रमशः पुलिस विज्ञान अंक 47, 48, 49 और 50 में उपलब्ध है। इनमें विषय से सम्बन्धित विवरणों का उल्लेख मिलता है। श्री अरविंद तिवारी द्वारा लिखित ''अपराधी सुधार पद्धति में महिला पुलिस का योगदान'' शीर्षक लेख के अन्दर महिला पुलिस को

महिला अपराधियों के प्रति अपने व्यवहार को अधिक मीठा और सौजन्यपूर्ण बनाने की सलाह दी गई है। दूसरा लेख जिसका शीर्षक ''राज्यों तथा संघ राज्यों में स्थापित महिला सेल के कार्य'' यह पुलिस विज्ञान अंक 50, जनवरी–मार्च, 1995 के पृष्ठ संख्या 30–38 पर प्रकाशित एक रिपोर्ट है। इनमें अन्य संघ राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में स्थापित महिला सेल के कार्यों का भी विवरण है। इससे सम्बन्धित भरपूर आंकड़े भी दिये गये हैं।

15. ''दहेज हत्यायें और महिला पुलिस'' शीर्षक लेख श्री सूर्य नारायण मिश्र द्वारा लिखा लेख है। इसमें दहेज हत्याओं को रोकने तथा उसके बाद की कार्यवाहियों में महिला पुलिस के योगदान का उल्लेख है। श्रीमती किरण वेदी का साक्षात्कार 'पुलिस विज्ञान' अंक 44, जुलाई–सितम्बर 1993 में पृष्ठ 27–29 में प्रकाशित है। इसमें श्रीमती किरण वेदी ने महिला पुलिस की शक्तियों, क्षमताओं कार्य करने की पद्धति तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। उनके विचार में महिला पुलिस का वर्गीकरण नागरिक (Civil) व सशस्त्र (armed) पुलिस के रूप में किया गया है। देश में कुल स्वीकृत (Sanctioned) पुलिस बल (1995 में) 13.29 लाख (10.11 लाख सिविल और 3.1 लाख सशस्त्र) है। इसमें से 5.3 प्रतिशत पद जनवरी 1996 में रिक्त थे। इस प्रकार 1995 में वास्तविक (Actual) कुल पुलिस बल 12.5 लाख व्यक्तियों का था। इसमें से 9.7 लाख (73.34%) सिविल पुलिस और 2.81 लाख (26.6%) सशस्त्र पुलिस है। (crime in India, 1995 : 329) कुल सिविल पुलिस कर्मियों में से 86.8 प्रतिशत कान्स्टेबिल और सहायक उप–निरीक्षक, उपनिरीक्षक (SI) और उप सुपरिन्टेण्डैण्ट पुलिस (Deputy Superintendent

Police) और 0.3 प्रतिशत सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस (SP), उप महानिरीक्षक (DIG) और महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के हैं। सिविल पुलिस का सबसे बड़ा दस्ता (Contigent) (1.21 लाख या 12.8 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में है। तथा महाराष्ट्र में यह संख्या (1.15 लाख या 12.3 प्रतिशत) है। केन्द्रशासित प्रदेशों में देहली सबसे अधिक 40, 212 सिविल पुलिस कर्मी हैं। (Ibid : 329) सशस्त्र पुलिस में 94. 4 प्रतिशत सहायक उपनिरीक्षक (A.S.I.) पद से नीचे के कान्सटेबिल और अफसर हैं। 4.9 प्रतिशत सहायक उपनिरीक्षक (ASI) उपनिरीक्षक (SI) l और निरीक्षक श्रेणी के, 0.5 प्रतिशत सहायक सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस (ASP) और उप सुपरिन्टेण्डेण्ट (DSP) श्रेणी के अधिकारी और 0.2 प्रतिशत सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस (SP), उप महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक श्रेणी (DG) के हैं। सशस्त्र पुलिस बल (12.1%) सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है।

देश में महिला पुलिस बल भी गठित किया गया है। स्वीकृत महिला सिविल पुलिस बल की कुल संख्या (1995 में) 18,373 थी, जबकि वास्तविक संख्या 15,337 थी। यह अनुपात कुल वास्तविक सिविल पुलिस का 89.9 प्रतिशत कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल है, 9.8 प्रतिशत उप सहायक, सहायक और इन्सपेक्टर है, 0.3 प्रतिशत सहायक व उप–सुपरिटेन्डेण्ट है और 0.1 प्रतिशत सुपरिन्टेंडेण्ट और उप–महानिरीक्षक ह। महिला पुलिस बल महाराष्ट्र में सबसे अधिकतम (16.4 प्रतिशत है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश है।

जहां तक सशस्त्र महिला पुलिस बल का प्रश्न है केवल आसाम मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू और काश्मीर और देहली में ही ऐसा पुलिस बल है। 1995 में देश में सशस्त्र महिला बल की कुल संख्या 677 थी।

विश्व की सबसे बड़ी धर्म निरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक देश होने के नाते भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अधिकारों को कार्यान्वित करने में भारतीय न्याय प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस की अहम भूमिका है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का ढांचा कई घटकों से मिलकर बना है। ये घटक परस्पर एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से सम्बद्ध होकर कार्य करते हैं। महिला पुलिस बल पुलिस व्यवस्था का अविभाज्य अंग अथवा घटक है। अपराधों की रोकथाम, शांति व्यवस्था को बनाये रखने में तथा वैधानिक कानूनों के परिपालन के लिए पुलिस का एक प्राथमिक तथा प्रमुख असैनिक संस्था या अभिकरण है। यद्यपि भारतीय समाज परम्परागत रूप से पुरुष प्रधान है तथापि परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गयी है। तदनुसार महिला जीवन के हर क्षेत्र के प्रति जागृत हो गयी है।

वर्तमान शोध अध्ययन योजना की यह मान्यता है कि सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है।

अध्ययन की समस्या एवं उद्देश्य :–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने से पारम्परिक पारिवारिक

प्रणाली में परिवर्तन आया है। कार्योजित महिला पुलिस की भूमिका, प्रस्थिति, घर की चहारदीवारी में बने रहने वाली महिलाओं की भूमिका प्रस्थिति से भिन्न हुई है। महिला पुलिस के कार्योजन से उत्पन्न पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जो नई शैली उत्पन्न हो रही है उससे सामाजिक परिवर्तन का बोध होता है। अध्ययन की प्रमुख समस्यायें इस प्रकार है।

हमारी शेध योजना निम्न है– एक परिभाषित क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका उनके निर्धारित कर्तव्य, कर्तव्य अनुपालन में सफलतायें तथा बाधक कारकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्या में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है–

1. महिला पुलिस की भूमिका
2. महिला पुलिस की सफलताएं एवं दशाएं
3. कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाएं अथवा समस्याएं

वस्तुतः ये तीन बिन्दु ही प्रस्तुत शोध अध्ययन के तीन विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित हैं। इन्हीं प्रस्तावित उद्देश्यों से सम्बन्धित तथ्यों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण इस शोध अध्ययन से किया गया है।

प्राक्कल्पना :–

महिलाओं के कार्योजन का प्रमुख कारण आर्थिक दबाव है, परन्तु शिक्षा, समानता और आधुनिकीकरण की भावना महिलाओं को कार्योजन के लिए प्रेरित करती है। कार्योजित महिलाओं के कार्य और परिवार में संघर्ष

की स्थिति भी बनी रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यकारी उपकल्पना बनाकर चले हैं। आधुनिक मनोवृत्ति और दबाव के कारण महिलाएं कार्याजन में प्रवेश करती है। महिलाओं के कार्योजन में प्रवेश करने से जो उनकी दोहरी भूमिका के समायोजन की समस्या उठती है, उनसे निरन्तर समायोजन और पुनर्समयोजन करने का प्रयास किया जाता है। केवल बच्चों की उपेक्षित स्थिति को छोड़कर, कुल मिलाकर कार्योजित महिलाएं अपने सामाजिक, आर्थिक स्तर और वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से सन्तुष्ट है।

1. अधिकांश महिलाएं कार्योजन से प्रतिबद्ध है और मध्यवर्गीय सामाजिक, आर्थिक स्तर पर जीनव निर्वाह कर रही है।
2. महिलाओं के कार्योजन ग्रहण करने के प्रेरक कारक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना या संकटकालीन स्थिति का समाधान करना होता है।
3. सामाजिक–आर्थिक स्तर में वृद्धि के कारण अधिकांश कार्योजित महिलाएं कार्योजन से सन्तुष्ट रहती है।
4. जैसे–जैसे कार्योजित महिलाओं की कार्य की अवधि बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे कार्योजन से सन्तोष का स्तर बढ़ता जाता है।
5. पेशे के सन्दर्भ में अध्यापिकाएं और महिला डाक्टर, महिला क्लर्क एवं नर्स की तुलना में अधिक सन्तुष्ट हैं। पेशे (कार्योजन) की प्रतिष्ठा और स्टेट्स के अनुसार कार्योजित महिलाओं का कार्य से सन्तोष का स्तर जुड़ा है।
6. कार्योजित महिलाओं का वैवाहिक जीवन (पति–पत्नी सम्बन्ध)

पारिवारिक जीवन (बच्चे और अन्य सम्बन्धियों के साथ) की तुलना में अधिक सामंजस्यपूर्ण है। जैसे–जैसे कार्योजित महिलाओं की आयु बढ़ती जाती है और कार्योजन काल का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे–वैसे वैवाहिक जीवन में समायोजन के स्तर की तुलना में पारिवारिक समायोजन का स्तर नहीं बढ़ता है।

उपर्युक्त उपकल्पना का परीक्षण निम्नलिखित तथ्यों के सन्दर्भ में किया गया है–

1. कार्योजित महिलाओं की रचना (कम्पोजिशन)।
2. कार्योजित महिलाओं तथा उनके पति के आर्थिक स्तर का प्रमापन।
3. कार्योजन स्वीकार करने का कारण।
4. कार्योजन सम्बन्धी समस्याओं से समायोजन।
5. कार्योजन से उत्पन्न पारिवारिक समस्याओं का निरूपण और समायोजन स्तर।
6. कार्योजन के सन्दर्भ में वैवाहिक समायोजन का स्तर।

कार्योजन से सन्तोष, वैवाहिक और पारिवारिक समायोजन को नापने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख अवधारणाओं का स्पष्टीकरण :–

(अ) समायोजन–

व्यक्ति जब दो या दो से अधिक भूमिकाएं निर्वाह करता है और उन भूमिकाओं में पस्पर संगति नहीं प्राप्त होती है तो इस स्थिति को भूमिका

का तनाव कहते है। ऐसी स्थिति व्यक्ति और व्यवस्था (परिवार) दोनों को क्षरित (निगेटिव) करती है। इसे कुसंमजन कहते हैं। यदि व्यक्ति को दो या दो से अधिक भूमिकाएं निर्वाह करने में संगति बनी रहती है और दूसरे लोग (परिवार के अन्य सदस्य) उसको अपना समर्थन प्रदान करते हैं तो इस स्थिति को समायोजन कहते हैं। वर्तमान अध्ययन में महिलाएं, पत्नी, माता, गृहणी और कार्योजन की भूमिका एक साथ निर्वाह कर रही हैं। यदि परिवार के लोग इनको समर्थन प्रदान करते हैं और महिलाएं स्वयं इन भूमिकाओं में असंगतता के कारण तनाव नहीं महसूस करती हैं तो समायोजित कही जायेगी क्योंकि उनका समायोजन कार्योजन और पारिवारिक भूमिकाओं से सम्बन्धित है, इसलिये ये समायोजन पारिवारिक समायोजन भी होगा।

कुसंमजन की स्थिति के केवल दो निर्वाह परिवर्त्य इस अध्ययन में लिये गये हैं। कार्योजित महिलाओं को पारिवारिक समर्थन और अर्न्तक्रिया, इन दोनों के आधार पर जानने का प्रयास किया गया है कि कार्योजित होने के कारण महिलाएं कहीं तक वैवाहिक और पारिवारिक भूमिका में समायोजित हैं। महिलाओं की कार्योजित भूमिका और पारिवारिक भूमिका दो अलग–अलग स्थलों पर होती है। एक ही समय में स्त्री दोनों ही स्थानों पर अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती। यदि वह कार्यस्थल पर होगी तो परिवार में नहीं होगी और यदि परिवार में होगी तो कार्यस्थल पर नहीं होगी। दोनों ही स्थानों पर उसकी भूमिका

आवश्यक होती है। यदि वह वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में समायोजित नहीं है तो भूमिका, संघर्ष की स्थिति में आ जायेगी। अतः कार्योजित महिलाओं के सम्बन्ध में पारिवारिक एवं वैवाहिक समायोजन का अध्ययन क्षेत्र है।

समायोजन के आयाम :–

कार्योजित महिलाओं के समायोजन के तीन प्रमुख आयामों का अध्ययन किया गया है–

1. कार्यस्थल पर कार्योजन से सन्तोष एवं सहकर्मियों के साथ अर्न्तक्रिया का स्वरूप।
2. वैवाहिक जीवन में समायोजन।
3. पारिवारिक जीवन में समायोजन।

कार्योजित महिला पुलिस :–

वर्तमान अध्ययन में केवल उन कार्योजित महिलाओं का चयन किया गया है जो सरकारी अर्धसरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत है तथा नियमानुसार वेतन प्राप्त कर रही हैं। चूंकि कार्योजित महिलाओं के पारिवारिक (वैवाहिक जीवन सहित) समायोजन का अध्ययन करना था इसलिए उन सभी कार्योजित महिलाओं को चुना गया है जिनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह हो चुका है। इस कोटि में तलाकशुदा तथा विधवा महिलाएं भी सम्मिलित है।

शोध प्रारूप :–

अनुसंधान प्रारूप, शोध प्रक्रिया की रूपरेखा (योजना) उसकी कार्यकारी एवं व्यवहारिक स्वरूप (संरचना) तथा तथ्य संकलन, उपकल्पना परीक्षण तथा तथ्य विश्लेषण के प्रविधि सम्बन्धी निर्णय (शोध–नीति) से सम्बन्ध एक नियोजित कार्यक्रम है जिसके आधार पर शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

इस तरह उद्दश्यों की उपर्युक्त भिन्नता के आधार पर अनुसंधान प्रारूप के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार है–

1. अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचना।

2. वर्णात्मक अनुसंधान प्ररचना।

3. निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना।

4. प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना।

प्रस्तुत शोध योजना में ''वर्णनात्मक शोध'' प्ररचना को आधार बनाया गया है। इस शोध प्रारूप का उद्देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। यहां मुख्य जोर इस बात पर दिया जाएगा कि विषय से सम्बन्धित एकत्रित किये गये तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हों अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक ही होगा। तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार

अनुसूची, प्रश्नावली अथवा किसी अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोध में घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है। वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना आवश्यक होता है–

1. शोध के उद्देश्यों की प्रविधियों का चुनाव।
2. तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव।
3. निर्देशन का चुनाव।
4. आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच।
5. तथ्यों का विश्लेषण।
6. प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त चरणों से गुजर कर ही वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होता है।

अध्ययन की पूर्व कल्पनाएँ :–

प्रस्तुत शोध योजना की कार्यकारी पूर्व कल्पनाएँ निम्नलिखित हैं–

1. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंतरिक व्यवस्था के परिचालन में पुरुष पुलिस बल के अतिरिक्त महिला पुलिस की आवश्यकता है।
2. निर्धारित कर्तव्यों के अनुपालन में महिला पुलिस कर्मी सफल रही है।
3. महिला पुलिस कर्मी की सेवा का प्रभाव स्थानीय जन समुदाय पर

प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

4. महिला पुलिस की मुख्य समस्याएं सामाजिक और प्रशासनिक तंत्रों की उदासीनता से सम्बन्धित रही है।

पद्धतिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य :–

अध्ययन का समग्र :–

समाजवैज्ञानिक अनुसन्धान के अन्तर्गत अध्ययन के समग्र का चयन साधारणतः दो तथ्यों द्वारा प्रभावित होता है। प्रथम, अनुसन्धान का उद्देश्य और द्वितीय, अनुसन्धान क्रिया की व्यावहारिक समस्याओं का परिसीमन करने का लक्ष्य। वर्तमान अध्ययन एक शोध परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। जो एक व्यक्तिगत अनुसन्धान कार्य है। शोध संस्थानों या संगठनों या एजेन्सियों में उपलब्ध व्यापक शोध क्रियान्वयन सुविधाओं की तुलना में व्यक्तिगत अनुसन्धान कार्य अनेक सीमाओं द्वारा आबद्ध होता है। समय और धन का अभाव तथा व्यक्तिगत प्रयास की सीमितता निजी अनुसन्धान कार्यों के परिसीमन की प्रमुख दशायें हैं। व्यक्तिगत अनुसन्धान की सीमाओं में वर्तमान अनुसन्धान के समग्र चयन की प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। वर्तमान शोध का उद्देश्य कार्योजित उत्तर प्रदेश महिला पुलिस की कार्यदशाएं एवं समसयाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन के समग्र का निर्धारिण किया गया है।

वर्तमान अध्ययन वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल की कार्योजित

महिला पुलिस कर्मियों पर आधारित है। वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल परम्परागत हिन्दू तीर्थस्थल के साथ–साथ शिक्षा, व्यवसाय एवं उद्योग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र भी है। 2001 की जनगणना के अनुसार वाराणसी मण्डल की कुल जनसंख्या 9289230 है एवं मिर्जापुर मण्डल की कुल जनसंख्या 4649869 है। वाराणसी मण्डल में 4830417 पुरुष है और 4458813 स्त्रियां है तथा मिर्जापुर मण्डल में 2397740 पुरुष है और 2254119 स्त्रियां है। जिसमें वाराणसी मण्डल में 6378318 व्यक्ति साक्षर हैं। इनमें लिंग के अनुसार साक्षरता की दर पुरुषों में 3975213 और महिलाओं में 2403105 है। साथ ही मिर्जापुर मण्डल में 2832438 व्यक्ति साक्षर है। लिंग के अनुसार साक्षरता दर पुरुषों में 1815816 और महिलाओं में 1016622 है।

समग्र :–

उत्तर प्रदेश की महिला पुलिसकर्मियों की कार्यदशाएं, सफलताएं और समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण समस्या पर अध्ययन करने हेतु शोधकर्ता ने अपनी सीमित संसाधनों एवं व्यापकता से बचाव तथा शोधकार्य की वैज्ञानिकता को बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्रों– वाराणसी और मिर्जापुर मण्डल को चुना है। इन दोनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के महिला पुलिसकर्मियों की झलक देखी जा सकती है। अतः इसे अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

वाराणसी एवं मिर्जापुर (विन्ध्याचल) मण्डल के विभिन्न थानों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों का वितरण :–

वाराणसी मण्डल					
जनपद	**निरीक्षक**	**उपनिरीक्षक**	**हेड कान्स्टेबल**	**कान्सटेबल**	**होमगार्ड**
वाराणसी	3	36	12	39	42
गाजीपुर	3	30	12	57	40
जौनपुर	3	36	12	51	53
चन्दौली	3	27	09	27	42

मिर्जापुर (विन्ध्याचल मण्डल)					
जनपद	**निरीक्षक**	**उपनिरीक्षक**	**हेड कान्स्टेबल**	**कान्सटेबल**	**होमगार्ड**
मिर्जापुर	3	36	12	47	42
सन्त रविदास नगर (भदोही)	3	36	12	39	40
सोनभद्र	3	27	9	15	42
योग	21	228	78	275	301

अध्ययन का निदर्श :–

उपरोक्त समग्र में से वास्तविक सूचनादाताओं का चयन करने के लिए 300 महिला पुलिसकर्मियों को चुना गया है जिसमें महिला इन्स्पेक्टर

12, महिला सब इन्सपेक्टर 36, महिला हेड कान्सटेबल (दिवान) 46, महिला कान्सटेबल (महिला सिपाही) 127 तथा महिला होमगार्ड 80 हैं। वास्तविक सूचनादाताओं का चयन करते समय उनकी वैवाहिक स्थिति को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा गया है जिसमें विवाहित एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा सभी प्रकार की महिला पुलिसकर्मी सम्मिलित हैं।

महिला पुलिसकर्मियों का पदवार समग्र एवं निदर्श :–

पदों का विवरण		निरीक्षक		उपनिरीक्षक		हेड कान्सटेबल		कान्सटेबल		होमगार्ड	
क्र0	जनपद का नाम	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श	समग्र	निदर्श
1	वाराणसी	3	2	36	6	12	7	39	20	42	12
2	गाजीपुर	3	1	30	5	12	7	57	25	40	10
3	चन्दौली	3	2	27	4	09	5	27	18	42	12
4	जौनपुर	3	2	36	5	12	7	51	26	53	14
5	मिर्जापुर	3	2	36	5	12	7	47	20	42	12
6	सन्त रविदास नगर (भदोही)	3	2	36	4	12	6	39	12	40	10
7	सोनभद्र	3	1	27	7	9	6	15	6	42	10
	योग	21	12	228	36	78	45	275	127	301	80

तथ्य संकलन :–

वर्तमान अध्ययन के निमित्त प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के

लिए साक्षात्कार–अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है। इसे निर्मित प्रयुक्त साक्षात्कार–अनुसूची परिशिष्ट ''अ'' में प्रदर्शित की गयी है। साक्षात्कार अनुसूची के अतिरिक्त अनौपचारिक वार्तालाप और निरीक्षण के माध्यम से भी सूचनादाताओं के व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति एवं अनुभव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्राथमिक तथ्य संकलित किये गये हैं। सीमित मात्रा में केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन को गहनता प्रदान की गयी है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन मुख्यतः जनगणना कार्यालय, नगर महापालिका एवं सूचना कार्यालय के द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए अनुसन्धानकर्ता ने चुने गये सूचनादाताओं से उनके कार्यालय एवं निवासस्थान पर जाकर साक्षात्कार–अनुसूची को पूरित किया है। प्रत्येक साक्षात्कार में लगभग एक घण्टे का समय व्यतीत करना पड़ा। साक्षात्कार की दशा लगभग एक जैसी रही। अधिकतर सूचनादाताओं ने एक ही बार में और कुछ ने दो या तीन बार अनुरोध करने पर सूचनाएं प्रदान की। सामान्यतः सूचनादाताओं का दृटिष्कोण अत्यन्त सहयोगपूर्ण रहा।

पूर्वगामी सर्वेक्षण :–

तथ्य संकलन हेतु वांछित अनुसूची के निर्माण को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व शोधार्थी द्वारा पूर्वगामी अध्ययन (Pilot Study) भी किया गया है। जिससे अनुसूची की वस्तुनिष्ठता का ज्ञान हो सके तथा अनावश्यक प्रश्नों को निकाला जा सके। कभी–कभी कोई प्रश्न अस्पष्ट एवं जिस

उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूछा जा रहा है, उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी भी जांच हो जाती है। अनुसूची की पचास प्रतियां तैयार कर महिला पुलिसकर्मियों की सूचनादाताओं पर परिक्षित किया गया है। उनसे प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तरों के सन्दर्भ में अनुसूचियों को संशोधित एवं परिमार्जित कर उन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया गया है।

अनुसूची को अन्तिम रूप देने के उपरान्त उन्हें मुद्रित कराकर महिला पुलिसकर्मियों से उनके कार्यस्थल एवं निवासस्थान पर सुविधानुसार सूचनाएँ एकत्र की गयी है।

स्वतंत्र च555र :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिस की सामाजिक स्थिति एवं कार्यालय पदास्थिति, आयु, शिक्षा, जाति, धर्म आदि व्यापक स्वतंत्र चरों को नियत किया गया है। शिक्षा के वर्गीकरण में शोधार्थी द्वारा हाईस्कूल, इण्टर, बी0ए0 (स्नातक), परास्नातक एवं अन्य उच्च शिक्षा के आधार पर महिला पुलिस का अध्ययन किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण हिन्दू, मुस्लिम आदि के आधार पर किया गया है।

महिला पुलिसकर्मियों का जाति के आधार पर वर्गीकरण जैसे– उच्च जाति, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के आधार पर किया गया है। महिला पुलिस का वैवाहिक आधार पर वर्गीकरण अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा एवं विधवा में किया गया है। सभी प्रकार के सूचनादाताओं का वर्गीकरण लिंग के आधार पर 6 वर्गों (1) 0–5 वर्ष, (2) 6–10 वर्ष, (3) 11–15 वर्ष, (4) 16–20 वर्ष, (5) 21–25 वर्ष, (6) 26–30 वर्ष तथा इससे

ऊपर बांटा गया है।

महिला पुलिस का आयु के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार से है, जैसे– (1) 18–30 वर्ष, (2) 31–40 वर्ष, (3) 41–50 वर्ष, (4) 51–60 वर्ष।

आश्रित चर :–

इसके अन्तर्गत महिला पुलिस का स्वयं के बारे में एवं अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विचार। आम जनता जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है, का महिला पुलिस के बारे में विचार। ये विचार महिला पुलिस में विभिन्न पदों के अनुसार भूमिकाओं, कार्यदशाओं, सफलताओं और बाधाओं के सम्बन्ध में हैं।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण :–

वर्तमान अध्ययन में उपकल्पनाओं की जांच करने के लिए कुछ सार्थक परिवर्त्य का प्रयोग किया गया है। इन परिवर्त्यों का सार्थक सम्बन्ध आवश्यकतानुसार कुछ प्रतिक्रियाओं में दिखाया गया है। जैसे– सामाजिक, आर्थिक स्तर, कार्योजन की अवधि इत्यादि। आश्रित परिवर्त्यों के रूप में तीन प्रमुख परिवर्त्यों को चुना गया है। जैसे– वैवाहिक समायोजन, पारिवारिक समायोजन और कार्य से सन्तोष। इन मापदण्डों के अतिरिक्त कुछ अन्य मापदण्डों को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे– शैक्षणिक स्थिति, व्यवसाय, मासिक आय इत्यादि। अध्ययन के निमित्त संकलित तथ्यों का प्रदर्शन सारणी में प्रदर्शित करने वाली सारणियों के द्वारा किया गया है। सारणियों में आयु, कार्य–अवधि, व्यवसाय एवं शिक्षा को महत्वपूर्ण

परिवर्त्य के रूप में प्रयुक्त करके अन्य तथ्यों के साथ उसका अन्तःसम्बन्ध देखने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक सारणी में आवृत्ति और प्रतिशत दिये गये हैं।

अध्यायीकरण

प्रथम अध्याय – सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

द्वितीय अध्याय – शोध प्रारूप एवं अध्ययन प्रविधि

तृतीय अध्याय – महिला पुलिस कर्मियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

चतुर्थ अध्याय – महिला पुलिस की प्रस्थिति एवं भूमिका

पंचम अध्याय – महिला पुलिस कर्मियों के वैवाहिक एवं पारिवारिक समायोजन के आयाम

षष्टम अध्याय – महिला पुलिस कर्मियों के कार्यपालन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं के समायोजन के आयाम

सप्तम अध्याय – निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

✵✵✵✵✵

सन्दर्भ सूची (REFERENCES)

1. क्राइम इन इंडिया (1995), पृ0 329
2. संविधान के प्रथम एवं चतुर्थ संशोधन आदेश, 1960 (G.O.3, Dec. 25.01.1950)
3. लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1998, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकेजर्स, 257, गोलगंज, लखनऊ, लेख– एन इन साइड व्यू, पृ0 12
4. पूर्वोक्त, पृ0 12
5. पूर्वोक्त, पृ0 12
6. पूर्वोक्त, पृ0 13
7. नेशन पुलिस कमीशन रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट।
8. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद
9. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद
10. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद
11. उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर
12. क्राइम इन उत्तर प्रदेश– 1990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स व्यूरो, लखनऊ, पृ0 111–113
13. पूर्वोक्त, पृ0 11.1–11.2
14. लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1998, पृ0 12
15. नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, प्रथम, पृ0 15
16. पी0 वी0 यंग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड सोशल रिसर्च
17. एफ0 एन0 कर्लोजर, फाउण्डेशन ऑफ विहैवियर रिसर्च

18.उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
19.उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश